संख्या-216 /2023/1570 /001-1570-23-10-23-23-10002-099-10-2023-

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2023

विषय:- अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7166बी0जी/31बी0-14/2023-24 दिनांक 27.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 ले0शी0 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन के अन्तर्गत की मद से आवश्यकता की मद में रू0 1670.00 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 27.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 1670.00 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन मद से अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-003-प्रशिक्षण-03-शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन) 1973 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना-42-अन्य व्यय, 2059-80-001-04-00 कार्यकारी के अंतर्गत 49-चिकित्सा व्यय, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद तथा 2059-80-001-03-00 निदेशन के अंतर्गत 49-चिकित्सा व्यय, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद एवं 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई मदों में कुल रू0 945.00 लाख का पुर्नविनियोग करते हुये निम्नानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2059800010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010300 निदेशन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	054	2059800010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
3	054	2059800010300 निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,95,00,000 (रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800010400 (कार्यकारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010400 कार्यकारी	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
2	054	2059800010400 कार्यकारी	49 चिकित्सा व्यय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**5,50,00,000 (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800030300 (शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800030300 शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

महायोग	9,45,00,000 (रुपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव

संख्या-216/2023/1570 /001-1570-23-10-23-23-10002-099-10-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव